



# HAMIRPUR POLICE



थाना जरिया

दिनांक-04.09.2021

## हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार

थाना जरिया पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अपराधी सत्येन्द्र पुत्र प्रताप उर्फ प्रजापत राजूपत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर को ट्यूबैल के पास वहद ग्राम धगंवा थाना जरिया से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 187/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमा पंजीकृत हैं

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 05/21 धारा 05/25 आर्म्स एक्ट थाना जरिया जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 62/19 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना जरिया जनपद हमीरपुर-
3. मु0अ0सं0 265/18 धारा 147/148/452/323/504/506 भा0द0सं0 व 3(1)5 एससी एसटी एक्ट थाना जरिया हमीरपुर
4. मु0अ0सं0 68/2017 धारा 457/380/411 भा0द0सं0 थाना जरिया जनपद हमीरपुर –
5. मु0अ0सं0 151/17 धारा 41/102 द0प्र0सं0/411 भादसं0 थाना जरिया जनपद हमीरपुर-
6. मु0अ0सं0 38/2021 धारा 286 भा0द0सं0 थाना जरिया हमीरपुर –
7. मु0अ0सं0 62/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरिया हमीरपुर
8. मु0सि0सि0 न0 09/2021 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट
9. मु0अ0सं0 187/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रभुराज सिंह चौकी प्रभारी चण्डौत
2. का0 वेद प्रकाश
3. का0 जोगेन्द्र सिंह

